कार्यालय–जिला शिक्षा अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

दूरभाष नं० : 06582 - 255165
ई–मेल : chaibasamdm@gmail.com

पत्रांक ...2376.../ चाई०,दिनांक ...03.08.2018

प्रेषक,

नीलम आईलीन टोप्पो
जिला शिक्षा अधीक्षक,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

सेवा में,

जिले के सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी,
सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

विषय : शिक्षकों के युक्तिकरण हेतु चिन्हित शिक्षकों की वरीयता सूची के दावा आपत्ति के संबंध में।

प्रसंग : प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 232/P.S. Cell दिनांक 01.06.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में अंकित करना है कि विभागीय प्रधान सचिव के निदेशानुसार विद्यालयों के छात्र–शिक्षक अनुपात में Excess शिक्षकों को चिन्हित किया गया है। साथ ही प्रखण्डवार विद्यालयों की रिक्ति भी चिन्हित किया गया है। Excess शिक्षक का निर्धारण विद्यालय में शिक्षक के योगदान की तिथि को लिया गया है।

अतिरेक (Excess) शिक्षकों का सामंजन काउंसिलिंग के माध्यम से करने का निदेश है। जिसके लिए शिक्षकों की वरीयता तैयार की गई है।

Excess शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण में निम्न बिन्दुओं को रखा गया है :–

1. नियुक्ति तिथि
2. नियुक्ति तिथि समान होने पर जन्म तिथि
3. जन्म तिथि समान होने पर उनके नाम के रोमन लिपि के वर्गाक्षर क्रम से पारस्परिक वरीयता का निर्धारण किया गया है।

शिक्षकों की औपबंधिक वरीयता सूची से शिक्षकों की अधीक्षा लेकर पदस्थापन किया जाएगा, जिसकी प्राथमिकता निम्नवत होगी:–

1. दिव्यांग महिला/पुरूष शिक्षक
2. असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षक/शिक्षिका
3. महिला शिक्षिका
4. पुरूष शिक्षक

उपरोक्त वरीयता के आधार पर तैयार सूची अवलोकनार्थ एवं प्रचार–प्रसार हेतु चिन्हित विद्यालयों के रिक्त पदों के साथ NIC के Website में अपलोड किया गया है। वरीयता में यदि कोई त्रुटि हो तो संबंधित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी दिनांक 07.08.2018 तक दावा आपत्ति साक्ष्य के साथ लेकर दिनांक 08.08.2018 के अपराह्न 3.00 बजे तक जिला कार्यालय को समर्पित करेंगे। दिव्यांग महिला/पुरूष शिक्षक, असैनिक शल्य चिकित्सा–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र साक्ष्य के रूप में संलग्न करेंगे।

उक्त तिथि के पश्चात् दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

विश्वासभाजन

03/08/18

जिला शिक्षा अधीक्षक,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

03/8/18

Letter 18 P

Scanned by CamScanner